तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर अहकाम हुक्म में ज...
30/9/21	(उपस्थित) पत्रावली पेश हुई वादी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विपक्षीगण को न्यायालय मे उपस्थित होने हेतु बार-बार आवाज लगाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये। अतः विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पत्रावली मे जरामेकु डिक्री जारी होकर पत्रावली वास्ते विभाजन जनाब दिनांक 5/10/21 को पेश हो [signature]	[illegible]
5/10/21	पत्रावली पेश हुई वादी उपस्थित न आ वकील पक्षकार मे विभाजन जनाब जब्त है जिसमें पत्रावली मे अन्तिम डिक्री जारी कि जाती है। डिक्री के पालना अपील अवधि गुजरने के बाद रकबा मे कि जावे। निर्णय पृथक से लिखकर जारी आदि किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:00:49 IST
Reason: SelfAttested

ल्स जज | नम्
अह
हुक्म
में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

–::मूल वाद में अन्तिम डिक्री::–
(आदेश 20 व नियम 06 एवं 07 जा. दी.)

पीठासीन अधिकारी श्री अंशुलसिंह आर ए एस
प्रकरण संख्या 23/2021 राजस्व वाद
निर्णय दिनांक 05/10/2021

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम

अनवान

1– श्री रतनलाल पिता मूलाराम बैरवा निवासी – माकडिया तहसील व जिला भीलवाडा राज0 .... वादी

बनाम

1– श्री सूरज पिता लादु जाति हरिजन निवासी – बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वादी तथा वादी के वकील उपस्थित । उक्त वाद में आदेश दिया जाता है और डिक्री कि जाती है की वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाता है । अतः वाके ग्राम बेरा पटवार क्षेत्र बेरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की खातेदारी खाता संख्या 721 का खसरा संख्या 2677/93 रकबा 1.0117 हैक्टेयर भूमि विभाजन की निम्नानुसार एतद् द्वारा आज्ञा पारित कि जाती है । उक्त वाद में आदेश दिया जाता है और डिक्री कि जाती है की वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाता है ... बेरा पटवार क्षेत्र बेरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की खातेदारी खाता संख्या 721 ... संख्या 2677/93 रकबा 1.0117 हैक्टेयर भूमि विभाजन की निम्नानुसार एतद् द्वारा आज्ञा पारित ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:00:49 IST
Reason: SelfAttested

1– श्री रतनलाल पिता मूलाराम हि0 2/3 ...वा माकडिया तहसील व जिला भीलवाडा खातेदार

खसरा संख्या	रकबा	
3075 2677/93	0.6744	हैक्टेयर
कुल किता–1 रकबा	0.6744	हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
(भीलवाड़ा)

2– सूरज पिता लादु हरिजन सा0 देह खातेदार ।

खसरा संख्या		रकबा	
3076/2677		**0.3373**	**हैक्टेयर**
कुल किता–1	**रकबा**	**0.3373**	**हैक्टेयर**

प्रतिवादी सख्या 02 ओपचारिक पक्षकरान होने से उनके विरूद्ध वादी का वाद अस्वीकार किया जाता है । प्रतिवादी संख्या 01 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात के हक हिस्से की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित है।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:00:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री अंशुल सिंह आर ए एस)

प्रकरण संख्या 23/2021

अनवान

1– श्री रतनलाल पिता मूलाराम बैरवा निवासी – माकडिया तहसील व जिला भीलवाडा राज0

.... वादी

बनाम

1– श्री सूरज पिता लादु जाति हरिजन निवासी – बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत 53, 54, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री मुरारी जोशी वकील वादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक 30.09.2021

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम बेरा पटवार क्षेत्र बेरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की खातेदारी खाता संख्या 721 का खसरा संख्या 2677/93 रकबा 1.0117 हैक्टेयर भूमि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 शामलाति हिस्से अनुसार दर्ज रेकार्ड है। जिस पर पक्षकारान का मौके पर अपने अपने हक हिस्सा अनुसार काबिज है। किन्तु रेकार्ड में शामलाती दर्ज है। जिसके सम्बंध में आये दिन विवाद होने के कारण उक्त भूमि का मिट्स एण्ड बाण्ड के आधार पर विभाजन करते हुए वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग अलग अंकन किया जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद सूचना के अनुउपस्थित जिनके एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है एंव प्रतिवादी संख्या 2 औपचारिक पक्षकार है ।

3. वादीया ने अपने वा[illegible] हुये वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किए जाने का निवेदन किया[illegible]

4. वकील वादी ने वादपत्र में आये तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस की। प्रतिवादी क्रम–1 की ओर से कोई आपत्ति एवं एतराज रिकार्ड पर नहीं पाया गया। प्रतिवादी संख्या 2 औपचारिक पक्षकार है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन किया गया । ऐसी स्थिति में वादी का वादपत्र बाबत विभाजन जायदाद स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:00:49 IST
Reason: SelfAttested

–::प्रारम्भिक डिक्री आदेश::–

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी क्रम संख्या 1 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बेरा पटवार क्षेत्र बेरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की खातेदारी खाता संख्या 721 का खसरा संख्या 2677/93 रकबा 1.0117 हैक्टेयर भूमि वादी तथा प्रतिवादी क्रम संख्या 1 शामलाति हिस्से अनुसार दर्ज रेकार्ड है। जिसे मिट्स एण्ड बॉउण्डस के आधार पर विभाजन का प्रारम्भिक आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार भूभाग को विभाजित किये जाने हेतू तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर राज. काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए उभयपक्षों को विभाजन प्रस्ताव तैयारी की दौरान मौके उपस्थित रहने बाबत् सुचित करते हुए, विभाजन प्रस्ताव तैयार करें। इस आशय की प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती है। प्रारम्भिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:00:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री अंशुल सिंह आर ए एस)

प्रकरण संख्या 23/2021

:मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री::–

अनवान

1– श्री रतनलाल पिता मूलाराम बैरवा निवासी – माकडिया तहसील व जिला भीलवाडा राज0
.... वादी

बनाम

1– श्री सूरज पिता लादु जाति हरिजन निवासी – बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत 53, 54, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री मुरारी जोशी वकील वादी

वादी की ओर से उनके वकील श्री मुरारी जोशी की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 30.09.2021 को न्यायालय के समक्ष प्रारम्भिक डिक्री निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण 01 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बेरा पटवार क्षेत्र बेरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की खातेदारी खाता संख्या 721 का खसरा संख्या 2677/93 रकबा 1.0117 हैक्टेयर भूमि में अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त शामलाती भूमि को मिट्स एण्ड बॉउण्डस के आधार पर विभाजित किये जाने का प्रारम्भिक आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 के मध्य विभाजित किये जाने हेतू तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार बनेड़ा राज. काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए उभयपक्षों को विभाजन प्रस्ताव तैयारी के दौरान मौके पर उपस्थित रहने बाबत् सुचित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करें। पक्षकारान के हक हिस्से की भूमि तक पहुचने हेतू यदि आवश्यक हो तो रास्ते के सम्बंध में समुचीत प्रस्ताव भी तैयार किये जावें। इस आशय की प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती है। प्रारम्भिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 30–9–2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/राजस्व वाद प्र.स. 23/2021 दिनांक 30/9/2021

प्रतिलिपिः– तहसीलदार बनेड़ा को भेजकर [illegible] माफिक डिक्री एवं ओदश के विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर आगामी सुनवाई तिथी 5.10.2021 से पुर्व आवश्यक रूप से पेश करें।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:00:49 IST
Reason: SelfAttested